<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09/09/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.09.2025 को **रुपये 185.84 करोड़** (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में **154 फ्लैटों** के रूप में अचल संपत्तियां और मुंबई स्थित 20 फ्लैटों से संबंधित प्राप्य के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मेसर्स डीएचएफएल, कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोप में जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स डीएचएफएल, कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य डीएचएफएल के खातों में हेराफेरी करके बैंक ऋण राशि की हेराफेरी करने और गबन में शामिल थे और उन्होंने बेईमानी से उक्त बैंक ऋणों का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि 2017-18 के दौरान, कपिल वधावन और धीरज वधावन ने डीएचएफएल के शेयरों में धोखाधड़ी वाले व्यापार के लिए प्रॉक्सी कंपनियों और आईसीडी के माध्यम से डीएचएफएल फंड को डायवर्ट करने की साजिश रची।

इससे पहले, ईडी ने 70.39 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अस्थायी कुर्की आदेश भी जारी किया था। ईडी ने 03.04.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई में एक अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है, जिस पर 02.05.2025 को संज्ञान लिया गया था। **इस मामले में अब तक कुल 256.23 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।**

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।